बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(आवश्यक सूचना)

विभागीय पत्रांक–660, दिनांक–01.04.2021 एवं PR. NO. 0000022 (BC & EBC) द्वारा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार राज्य के उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि–03.05.2021 तक निर्धारित किया गया था, को दिनांक–05.06.2021 तक विस्तारित किया जाता है।

13/05/21

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/G(Sri Akhil Sir)Draft

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई चालू योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66वीं (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹50,000/–(रूपये पचास हजार) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

1. **अभ्यर्थी के लिए अर्हता एवं शर्तेः–**
   (i) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
   (ii) बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए।
   (iii) 66वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
   (iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
   (v) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. **आवेदन की प्रक्रियाः–**
   (i) विभागीय वेबसाईटः– https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html पर दिनांक 03.05.2021 तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगें। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगें एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
   (ii) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत),स्वयं के नाम का **Active** बैंक खाता (आई0 एफ0 एस0 कोड स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक की Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी आवश्यक होगी।
   (iii) अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आई–डी होनी चाहिए।
   (iv) ऑनलाईन माध्यम से अभ्यर्थी को स्वयं आवेदन करना हैं एवं आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की सारी जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
   (v) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन करने अंतिम तिथिः– 03.05.2021

- आवेदन करने की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी बेवसाईटः– https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html पर देखी जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या–0612–2215406 पर संपर्क किया जा सकता है।

1/4/21

सरकार के संयुक्त सचिव।